विधान नियमावली

1– संस्था का नाम – इस संस्था का नाम **VMOU Alumni Society Kota** है व रहेगा ।

2– पंजीकृत कार्यालय– एवं कार्यक्षेत्र – इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय EMPC Building, Vardhman Mahaveer Open University, Rawatbhata Road, KOTA(Raj.) - 324021 तथा कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान क्षेत्र तक सीमित रहेगा। (1)

3– संस्था के उद्देश्य– इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है:–

(1) शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर VMOU के पूर्व छात्रों में मैलजोल बढ़ाना तथा अच्छे सम्बन्धों को प्रोत्साहित करना। एलुमनी न्यूज लेटर, जर्नल्स आदि प्रकाशित करना ।

(2) VMOU के शैक्षणिक विषयों में सहयोग करना तथा सक्रिय गतिविधियाँ आयोजित कर विश्वविद्यालय के हितों के संवर्धन एवं शैक्षणिक उन्नयन में योगदान देना।

(3) VMOU में अध्ययनरत छात्रों को सेटअप के माध्यम से सूचनाएं एवं मार्गदर्शन प्रदान करना, श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति एवं पदकों को प्रायोजित करवाना ।

(4) VMOU के पूर्व छात्रों, जनसहयोग, सांसद/विधायक विकास कोष आदि के सहयोग से वित्तीय एवं गैर वित्तीय संसाधन जुटाने में सहयोग करना ।

(5) उद्योग–अकादमिक सहयोग (Industry-Academia Collaboration) एवं समान उद्देश्यों वाली समकक्ष संस्थाओं के सहयोग से विश्वविद्यालय छात्रों के लिए रोजगारपरक, कौशल विकास एवं उद्यमिता कार्यक्रमों का संचालन विश्वविद्यालय के मार्गदर्शनानुसार करना ।

(6) VMOU प्रशासन द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का सम्पादन करना ।

उपरोक्त सोसाइटी की स्थापना Vardhman Mahaveer Open University, Kota के दिशा–निर्देशानुसार की जा रही है, जिसके उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है। भविष्य में सोसायटी के संगठन, उद्देश्य आदि में परिवर्तन VMOU Alumni Society की कार्यकारिणी सर्वप्रथम सोसायटी के संरक्षक माननीय कुलपति, VMOU, KOTA(पदेन) के अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेगी एवं उनके पूर्वानुमोदन उपरान्त ही इस विषय में अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करेगी। कार्यकारिणी के सम्बन्ध में होने वाले विवादों का निपटारा सक्षम सिविल न्यायालय में उपचार उपलब्ध रहेगा। (2)

4– सदस्यता – निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था की सदस्यता हेतु आवेदन कर सकेगें –

(1) VMOU के समस्त पूर्व छात्र जिन्होनें VMOU के किसी कोर्स/पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो व उत्तीर्ण रहें हो तथा संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हों। (3)

(2) बालिग हो तथा पागल या दिवालिया न हो।

(3) संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आरथा रखते हों तथा संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

अध्यक्ष (ARUN KUMAR TYAGI) | मंत्री (Amit) | कोषाध्यक्ष (मोहित पन्त)

Signature Not Verified
Digitally signed by Govind Prasad Laddha
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.10.29 15:00:29 IST
Reason: Approved
Location: Kota

Scanned by CamScanner

2.मंत्री : बैठके आहूत करना । कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना । आय–व्यय पर नियत्रंण करना । वैतनिक कर्मचारियों पर नियत्रंण करना तथा उनके वेतन व यात्रा भता बिल आदि पारा करना । संस्था के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना । पत्र व्यवहार करना । वैधानिक व अन्य कार्य करना जो आवश्यक हो ।

3.कोषाध्यक्ष : वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना । दैनिक लेखों पर नियत्रंण रखना। चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना । अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना ।

16–संस्था का कोष – संस्था कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :–

(1) चन्दा (2) शुल्क (3) अनुदान (4) सहायता (5) राजकीय अनुदान, आदि।

उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जायेगी । अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेनदेन संभव होगा ।

17–कोष संबधी विशेषाधिकार – संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एकमुश्त कर सकेगें :–

अध्यक्ष – 50000रू. मंत्री – 20000रू. कोषाध्यक्ष – 5000रू.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

18–संस्था का अंकेक्षण – संस्था के समस्त लेखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

19–संस्था के विधान में परिवर्तन व परिवर्धन – संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा ।

20–संस्था का विघटन – यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्यों वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेंगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगीं ।

21–संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण – रजिस्ट्रार संस्थाऐं, कोटा को संस्था के रिकार्ड लेखे जोखे के निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान(नियमावली) VMOU Alumni Society की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।

अध्यक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Govind Prasad Laddha
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.10.29 15:00:29 IST
Reason: Approved
Location: Kota

मंत्री

कोषाध्यक्ष

Scanned by CamScanner

माननीय कुलपति महोदय,
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा ।

विषयः– **VMOU Alumni Society** रजिस्ट्रेशन बाबत ।

प्रसंगः– विश्वविद्यालय पत्र क्रमांकः **VMOU/ AlumniCell/2021/163** दि0 17.09.21

महोदय,

संदर्भित विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके निर्देशानुसार दिनांक 07.10.2021 को गांधी भवन, VMOU परिसर, कोटा पर आयोजित बैठक में VMOU Alumni Society के गठन हेतु संघ विधान पत्र एवं विधान नियमावली पर लिये गये सर्वसम्मत निर्णयोंनुसार कार्यकारिणी द्वारा सोसायटी के रजिस्ट्रेशन की अग्रिम कार्यवाही की गई।

उक्त कम में रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, कोटा द्वारा सोसायटी का आनलाईन रजिस्ट्रेशन कर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नं. Coop/ 2021/KOTA/200625 Dt. 29-10-2021 मय संघ विधान पत्र एवं विधान नियमावली की प्रमाणित प्रति जारी कर दी गई है, जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करते हुए निवेदन है कि सोसायटी के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही एवं गतिविधियॉं प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान कर अनुग्रहित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार सधन्यवाद ।

भवदीय,

10/11/21

(डा.अरूण कुमार त्यागी)
अध्यक्ष
VMOU Alumni Society

VMOU ALUMNI SOCIETY KOTA
05
29.10.21

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग / COOPERATIVE DEPARTMENT

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण – पत्र / REGISTRATION CERTIFICATE

पं. संख्या / REG. NO.- COOP/2021/KOTA/200625

दिनांक / DATE- 29-10-2021

यह प्रमाणित किया जाता है कि **VMOU ALUMNI SOCIETY KOTA** जिला **KOTA** का रजिस्ट्रेशन **' THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 (RAJASTHAN ACT NO. 28, 1958) '** के अन्तर्गत आज किया गया है। यह प्रमाण पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षरों से आज जारी किया गया है।

IT IS CERTIFIED THAT **VMOU ALUMNI SOCIETY KOTA** AT DISTRICT **KOTA** IS REGISTERED UNDER **' सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958) '**. THIS CERTIFICATE IS ISSUED TODAY UNDER MY DIGITAL SIGNATURE.

Signature Not Verified

Digitally signed by Govind Prasad Laddha
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.10.29 15:00:27 IST
Reason: Approved
Location: Kota

11–कार्यकारिणी का गठन– संस्था के कार्य को सूचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होगे:–

(1) संरक्षक	एक (पदेन–माननीय कुलपति, VMOU,KOTA)
(2) अध्यक्ष	एक (निर्वाचित)
(3) मंत्री	एक (निर्वाचित)
(4) कोषाध्यक्ष	एक (निर्वाचित)
(5) सदस्य	तीन (2 निर्वाचित एवं 1 मानद पदेन–संरक्षक द्वारा मनोनीत एलुमनी सेल डायरेक्टर/कन्वीनर/प्रतिनिधि)

इस प्रकार कार्यकारिणी में एक संरक्षक, तीन पदाधिकारी एवं 3 सदस्य कुल 7 सदस्य होगें।

12–कार्यकारिणी का निर्वाचन–संस्था की प्रबन्धकारिणी के निर्वाचित पदों का चुनाव दो वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा। चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जायेगा। चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

13–कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य–संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होगें:–

(1) सदस्य बनाना/निष्कासित करना ।
(2) वार्षिक बजट तैयार करना ।
(3) संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना ।
(4) वैतनिक कर्मचारी नियुक्त करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवामुक्त करना ।
(5) साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।
(6) कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियाँ बनाना।
(7) अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो करना ।

14–कार्यकारिणी बैठकें –

(1) कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें अनिवार्य होगीं लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

(2) बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा एवं मत विभाजन की स्थिति में संरक्षक का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

(4) कोरम के अभाव में स्थगित बैठक पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होगे जो पूर्व एजेन्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस बैठक की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15–प्रबन्धकारिणी के – अधिकार एवं कर्तव्य

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार एव कर्तव्य निम्न प्रकार होगें:–
1.अध्यक्ष : बैठकों की अध्यक्षता करना । बैठकें आहूत करना । संस्था का प्रतिनिधित्व करना । संविदा तथा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना ।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Govind Prasad Laddha
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.10.29 15:00:29 IST
Reason: Approved
Location: Kota

Scanned by CamScanner

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा।

क्रमांक:-वमखुविवि/कुस(स्थापना)/17/1774-81 दिनांक-20.02.2017

कार्यालय आदेश

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 मे वर्णित स्टेच्युट्स 03 के उप बिंदु 03 मे वर्णित प्रावधान (There shall be appointed as many directors as the Board of Management may deem proper and one of the directors shall be in-chagge of the administrative affairs of the teachers.) के तहत, प्रबंध मण्डल की 94वीं बैठक दिनांक 30 दिसबर 2016 मे लिए गए निर्णय संख्या 94/11 की पालना मे विश्वविद्यालय में निदेशक, उद्यमिता एवं कौशल विकास केन्द्र के पद का सृजन करते हुए उद्यमिता एवं कौशल विकास केन्द्र को स्वतंत्र विभाग के रूप मे स्थापित किए जाने के आदेश जारी किए जाते है।

निदेशक के पद पर विश्वविद्यालय शिक्षक को बिना कोई अतिरिक्त भत्ता स्वीकृत किए नियुक्त किया जाएगा, तथा मंत्रालयिक एवं सहायक कर्मचारियो की आवश्यकतानुसार व्यवस्था वर्तमान मे नियुक्त विश्वविद्यालय कार्मिको मे से ही की जाएगी।

विश्वविद्यालय में पूर्व स्थापित विभागों, "स्किल डवलपमेंट एवं प्लेसमेंट केन्द्र तथा वोकेशनल एज्युकेशन निदेशालय" का विलय (समस्त कार्यों एवं उत्तरदायित्वों सहित) भी उद्यमिता एवं कौशल विकास केन्द्र में किया जाता है।

उक्त आदेश माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से जारी किए जाते है।

कुलसचिव

क्रमांक:-वमखुविवि/कुस(स्थापना)/17/1774-81 दिनांक-20.02.2017

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:-

1. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा राज्यपाल सचिवालय,राजभवन जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार सचिवालय,जयपुर ।
3. सचिव, कुलपति सचिवालय,वमखुविवि,कोटा को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
4. नियंत्रक, वित्त वमखुविवि,कोटा ।
5. समस्त, विभागाध्यक्ष,वमखुविवि,(मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केन्द्र)
6. प्रभारी विश्वविद्यालय, वेबसाइट।
7. लिपिक, बैठक को प्रबंध मंडल के निर्णय की पालना मे सूचनार्थ।

उप कुलसचिव(स्थापना)

5– सदस्यों का वर्गीकरण– संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होगें :–

(1) संरक्षक (2) सम्मानीय (3) साधारण

6– सदस्यों द्वारा उपनियम संख्या 4 में अंकित निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा –

(1) संरक्षक राशि मानद (पदेन)
(2) सम्मानीय राशि 21000/– आजन्म
(3) साधारण राशि 200/– द्विवार्षिक
उक्त राशि एकमुश्त जमा कराई जा सकेगी ।

7– सदस्यता से निष्कासन– संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :–

(1) मृत्यु होने पर (2) त्यागपत्र देने पर
(3) संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
(4) प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर ।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिवस के अन्दर–अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा ।

8– साधारण सभा – संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेगें।

9– साधारण सभा के – अधिकार और कर्तव्य साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होगें :–

(1) प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना ।
(2) वार्षिक बजट पारित करना ।
(3) प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा एवं पुष्टि करना ।
(4) संस्था के कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा)

10–साधारण सभा की बैठकें–साधारण सभा की वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अत्यावश्यक बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/5 होगा। साधारण सभा की सूचना 7 दिवस पूर्व एवं अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिवस पूर्व दी जावेगी। कोरम के अभाव में स्थगित की गई बैठक पुनः 7 दिवस पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी तथा ऐसी स्थगित सभा की बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन बैठक का ऐजेन्डा एवं विचारणीय बिन्दु वे ही होगें जो पूर्व में थे। संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य जो भी कम हों, के लिखित आवेदन पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा । निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक नहीं बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों मे से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेगें तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होगें।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Govind Prasad Laddha
Designation : REGISTRAR
Date: 2021.10.29 15:00:29 IST
Reason: Approved
Location: Kota

Scanned by CamScanner